

**OFFICE OF DIRECTOR HIGHER EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER**

Order No:- KW 1/59-2018 Ad (3)

Date Panchkula 06-9-19


A copy of letter No. 6/2/1989-2NGIS dated 30.07.2019 and 21.8.2019

received from Under Secretary, Protocol, O/o Chief Secretary to Govt. Haryana “नई

सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235—सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर उप शीर्ष-200—अण्डर स्कीम—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book

Adjustment न किये जाने बारे” is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 All the Principals of Government Colleges in the State.
- 2 All the Commanding Officers, NCC Units in the State.
- 3 Registrar, Kurukshetra University, Kurukshetra/Maharishi Dayanand University, Rohtak/Chaudhary Devi Lal University, Sirsa/Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan (Sonepat)/Indira Gandhi University, Meerpur (Rewari)/Chaudhary Ranbir Singh University, Jind/Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani, Bhiwani, Gurugram University, Gurugram, B.R. Ambedkar National Law University, Rai (Sonepat), Balmiki Sanskrit University, Mundri, Kaithal.
- 4 All the Librarians of District Libraries/Sub Divisional Libraries in the State of Haryana / Librarian.



Superintendent Administration,
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula ।

Endst. No.- Even

Dated, Panchkula 06-9-19

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 PS/DHE, Steno/Additional Director Admn.
- 2 Superintendent College-I,II, IV, Library, ME is requested to take further necessary action at your end, and ensure compliance these instructions.
- 3 All the Assistants of Admin Branch.


Superintendent Administration,
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula ।

Acs Higher Sdm

452 AD(G)
21.9.19

अति आवश्यक
तिथिबद्ध

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

PHE

26/08/19

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा।

DHE (Bum)

2-9-19

दिनांक, चण्डीगढ़ २) अगस्त, 2019

JDAdu m

ADAdu m

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वैलफेर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने वारे।

श्रीमान / श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019, 12-07-2019 तथा 30.07.2019 की ओर दिलाते हुए सूचित कर्त्ता कि सरकार द्वारा वांछित सूचना कुछ विभागाध्यक्षों को छोड़कर आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (कुछ विभागाध्यक्षों को छोड़कर)। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक) (मासिक तौर पर) 28-08-2019 तक संलग्न प्रोफार्म में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें।

Khan

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Khan

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार।

अशा० क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0
पृ० क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ २) अगस्त, 2019

दिनांक, चण्डीगढ़ २) अगस्त, 2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा।
- 2 प्रधान महालेखाकार (१० एण्ड ई०), हरियाणा।

Khan

अवर सचिव, प्रोटोकोल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

- - - २ - -

Mr. Higer EDM

4396/A
१८/१९

अति आवश्यक
तिथिबद्ध

CFMS No. २५२७
Date. ०७/०८/१९
O/o DHE Hr. PKL

क्रमांक ६/२/१९८९-२०१०जी०आई०एस०

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- १ सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा।
- २ आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।
- ३ रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- ४ सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा।
- ५ सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा।

DNB (OT)
०८/०८/१९

(bus) १३/८/१९

~~DDA~~
~~DATA~~
~~A9 Admin~~

~~Sh~~
१३/८/१९
~~SD~~

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235—सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेर—उप शीर्ष-200—अण्डर स्कीम—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने वारे।

श्रीमान/ श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक ६/२/१९८९-२०१०जी०आई०एस० दिनांक ३१-०५-२०१९ तथा दिनांक १२-०७-२०१९ की ओर दिलाउं कि सरकार द्वारा वांछित सूचना आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (१०/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, २०१९ से जुलाई, २०१९ तक) (मासिक तौर पर) १६-०८-२०१९ तक संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन०जी०आई०एस० शाखा, नव सचिवालय, सैकटर-१७, चण्डीगढ़ को भिजवाने का कष्ट करें तथा इसके साथ-साथ उपरोक्त सूचना कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाएं।

Khan
अवर सचिव, प्रोटोकोल
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Khan
अवर सचिव, प्रोटोकोल
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार।

अशा० क्रमांक ६/२/१९८९-२०१०जी०आई०एस०
पृ० क्रमांक ६/२/१९८९-२०१०जी०आई०एस०

दिनांक, चण्डीगढ़ ३० जुलाई, २०१९
दिनांक, चण्डीगढ़ ३० जुलाई, २०१९

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- १ सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा।
- २ प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०), हरियाणा।

Khan
अवर सचिव, प्रोटोकोल
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।